MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Finance Minister to move that the Bill be passed.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up permitted Special Mentions. Because of the paucity of time, the Member whose name is called should raise in their seat and say, with just the mention of subject, that I lay it on the Table of the House. Shrimati Kanta Kardam; not present. Now, Shri A.D. Singh.

Demand to enhance budgetary allocation to meet environmental targets under the Paris agreement

SHRI A.D. SINGH (Bihar): Sir, under the Paris Agreement, our country has committed to achieve the following targets by 2030. These targets are, (i) achieve 33 to 35 per cent cut in emissions from 2005 levels, (ii) forty per cent power generation through renewable sources, and (iii) create additional carbon sink of 2.5 to 3.0 gigatonnes of CO2.

There has been a consistent drop in budgetary allocation to Environment and Forest sector both at the Central as well as at the State level by more than 50 per cent. A steady increase in budgetary allocations to meet our international commitments is necessary. On the other hand, our air is one of the most polluted air in the world. Our rivers are drying. The present generation needs clean air and water.

I would urge the Government to earmark at least one per cent of the Budget to the Environment and Forest sector both in case of Centre and States. We need to put our money where our mouth is, to help us achieve the additional 2.5 to 3.0 gigatonnes of carbon sink. There is a need to increase the area under the protected area network to protect wildlife. The Government should ensure that the Forest Conservation Act, 1980 is not diluted. The Government should implement 'Polluter

Pays' principle by making changes in the laws. Sir, compliance to pollution laws should be cheaper than violating them. Thank you.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

Concern over non-inclusion of eligible persons under the Ayushman Bharat Scheme

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश) : महोदय, हम सभी देशवासियों के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के 2014 में प्रधान मंत्री बनने के बाद देश के गरीबों, मज़लूमों और दुर्बल व्यक्तियों के लिए या जो बीमारी से पीड़ित हों, उनकी दवा वगैरह कराने हेतु दुनिया की सबसे बड़ी "आयुष्मान भारत योजना" की नींव रखी गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीबी में जीवनयापन करने वाले गरीब, मज़लूम और दुर्बल लोग, जो भारी तथा गंभीर बीमारी से पीड़ित हों, उनकी दवा वगैरह करने के लिए पैसा न रहने पर उन्हें अपनी औरत के गहने, खेत वगैरह बंधक न रखने पड़ें। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने मन में गरीबों के प्रति सम्मान और गंभीर सोच रखते हुए आयुष्मान कार्ड जारी किए, जिसमें 5 लाख रुपये होते हैं, जिससे कमज़ोर, गरीब और दुर्बल आय वाले लोग अपने घर व परिवार का इलाज करा सकते हैं, लेकिन आज भारी मात्रा में लोग इससे वंचित हैं, जो वास्तविक रूप से गरीब हैं। महोदय, बीच में आयुष्मान कार्ड बनने शुरू हुए, लेकिन यह पता लगे कि वह पुरानी सूची (2011) की जनगणना के अनुसार ही बन रहे हैं, जबकि उसी समय से बहुत अधिक संख्या में पात्र लोग वंचित हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जिन गरीब, दुर्बल आय वाले और मज़लूमों का आयुष्मान कार्ड सूची में नाम दर्ज होने से वंचित है या छूट गया है, उनके लिए नई सूची बनायी जाए और उन गरीबों, मज़लूमों और दुर्बल व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड जारी किये जाएं, जिससे माननीय प्रधान मंत्री जी का मिशन "सबका साथ, सबका विकास" संभव हो सके, धन्यवाद।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Demand to remove VT code from Indian Aeroplanes

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के स्वाभिमान से जुड़े लोक महत्व के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।